भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून–248011
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011
Telephone No.- 01352698371

फा. सं. /5(5)/SCF/Store/FP/2022-23(part file) दिनांकः 29.12.2022

नीलामी नोटिस

इस संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में आसवन इकाई **(Distillation unit)** के दो वर्ष के संचालन के अधिकार की खुली नीलामी दिनांकः 24.01. 2023 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छूक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते है।

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में आसवन इकाई (Distillation unit) जिसकी क्षमता 1 टन हरा सुगन्धित घास का प्रतिदिन आसवन करने की है संचालन के अधिकार की खुली नीलामी दिनांकः 24.01.2023 को प्रातः11.00 बजे की जानी है।इस नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

1. आसवन इकाई के संचालन के अधिकार की खुली नीलामी प्रकिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 24.01.2023 को प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

2. आसवन इकाई के संचालन के अधिकार की खुली नीलामी जैसा है जहां है के आधार पर की जायेगी, नीलामी के पश्चात् संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का कार्य नही किया जायेगा।
3. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले ई0एम0डी की धनराशि रू0 2000/– (रूपये दो हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट या कैश जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष में हो, जमा कराना होगा। ई0एम0डी की धनराशि जमा नही कराने की अवस्था में नीलामी स्थल में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
4. नीलामी हेतु पंजीकरण कराते समय बोलीदाता अपने आधार कार्ड एवं बैंक की पासबुककी प्रति भी प्रस्तुत करेंगें।

5. एक ई0एम0डी की धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट या कैश के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

6. आसवन इकाई के संचालन के अधिकार की खुली नीलामी दो वर्ष के लिए अर्थात 31 दिसम्बर 2024 तक के लिए की जायेगी। कार्य सन्तोषप्रद होने पर नीलामी की अवधि को एक वर्ष के लिए आगे भी बढाया जा सकता है।
7. आसवन इकाई को चलाने के लिए ईधंन की आपूर्ति सफल बोलीदाता को स्वंय करनी होगी। संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का ईधंन उपलब्ध नही कराया जायेग।

8. आसवन इकाई की रखरखाव एवं मरम्मत एवं किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। यदि आसवन इकाई में किसी प्रकार का नवीनीकरण/आधुनीकरण प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र की अनुमति से करना होगा।
9. आसवन इकाई का संचालन संस्थान के कर्मचारियों की देखरेख में करना होगा।

10. प्रत्येक बार आसवन के पश्चात् सफल बोलीदाता को आसवन इकाई_व आस–पास के क्षेत्र को साफ करना होगा।

11. यदि बोलीदाता द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने के तथ्य सामने आते हैं तो ठेका समय अवधि के दौरान संस्थान के सक्षम अधिकारी/निदेशक महोदय द्वारा आंवटित ठेके को निरस्त करने व ठेके से संबधित जमा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा संबधित ठेकेदार कानूनी कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार होगा।

12. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।

13. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष मे अनुमोदित की जायेगी।

14. बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति अपनी रिर्पोट उन्हे प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेगे। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

15. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन डिमाण्ड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा **NEFT/RTGS** द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा तथा अधिकतम बोली का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में उसी दिन जमा कराना होगा, नगद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।

16. सफल बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धन राशि स्वीकृति के सात दिवस के भीतर जमा करानी होगी। इस अवधि मे शेष धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनका नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।

17. सफल बोलीदाता को उपरोक्त शेष 75 प्रतिशत नीलामी राशि के साथ–साथ नीलामी ठेके का अनुबंध पत्र रू0 100/– के नॉन–जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड प्रस्तुत करना होगा। इस अनुबंध पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा नीलामी आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

18. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ–साथ जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के बाद आंवटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जोयगी। ठेकेदार द्वारा <u>आसवन इकाई </u>को किसी प्रकार के नुकसान पहुॅचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

19. सफल बोलीदाता आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

20. सफल बोली दाता को आसवान के लिए सम्बन्धित सामान को रखने के लिए आसवन इकाई_के आस– पास खाली स्थान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

21. अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई पर लगभग 02 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर बोये गये लेमनग्रास घास का आसवन प्रक्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा आसवन इकाई का प्रयोग कर स्वंय किया जायेगा जिसके लिए ठेकेदार को किसी प्रकार का शुल्क देय नही होगा। जिसके आसवन वर्ष में दो बार किया जायेगा पहला 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच व दूसरा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक।

22. आसवान किये गये सुगन्धित तेल के अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचरियों की देख–रेख में पूर्ण किये जायेंगें जिसके लिए सफल बोली दाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

23. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगायें जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधारकार्ड की प्रति सहित प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र के पास जमा करानी होगी।

24. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

25. सफल बोलीदाता द्वारा आसवान तथा सुगन्धित तेल को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य–दिवस में प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे के बीच ही कराना होगा ।

26. सफल बोलीदाता अपने दैनिक कार्य हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत कनेक्शन लेना चाहे तो उसे प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/प्रक्षेत्र अधीक्षक को लिखित सूचित करना होगा जिसे मीटर रीडिंग के आधार पर निर्धारित विद्युत मूल्य अनुसार विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।

27. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा आसवन इकाई की देख–रेख एवं फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई मे होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जायेगी।

28. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में आसवन इकाई_का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के बीच प्रक्षेत्र अधीक्षक की अनुमति/निगरानी में कर सकते है।

29. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।

30. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।

31. इस नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।

32. निदेशक, भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एंव जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई